इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2020—माघ 12, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 01 फरवरी 2020

क्र. 105-56-2019-वि-5-बाईस-स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय और अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ) उपयंत्रियों का चयन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जावेगा."

2. **अनुसूची-एक में, शीर्षक '2. (ब) अलिपकीय वर्गीय** : राज्य स्तरीय संवर्ग (मुख्यालय तथा मंडल कार्यालयों के लिए)' के अधीन, कॉलम (5) में, अनुक्रमांक के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उपयंत्री	1497	तृतीय-श्रेणी अलिपिकवर्गीय	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	–."।

3. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(8) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में 20 प्रतिशत पद ऐसे कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे जो विभागों/निकायों में संविदा आधार पर कार्यरत् है तथा जिन्होंने संविदा पद पर न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, किन्तु ऊपर उल्लिखित आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्त होने के पश्चात्, पुनः इस लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी. ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जितनी सेवा की गई हो, संविदा पर अधिकतम आयु-सीमा में छूट उतनी अवधि के लिए अनुमत की जाएगी, किंतु छूट सहित अधिकतम् आयु सीमा, पद हेतु भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में विहित तारीख को, 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी."

No. 105-56-2019-D-5-XXII-Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Development Commissioner Panchayat and Rural Development, Class III (Ministrial and Non Ministrial) Service Recruitment Rules, 1999, namely:—

AMENDMENTS

In the said Rules,—

1. In rule 6, in sub-rule (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) Sub-engineers shall be selected through Madhya Pradesh Public Service Commission."

2. In Schedule-one, under the heading '2. (B) Non-Ministrial : State Level Cadre (for Head Quarter and Circle Offices)', in column (5), against serial number, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Sub-Engineer	1497	Class-III Non-Ministrial	9300—34800 Grade Pay 3600	-.".

3. In the Said rules, in rule 11, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(8) 20 percent posts in vacancies available for the direct recruitment shall be reserved for such employees working in the Departments/Bodies on Contract basis and have completed minimum five years of service on contract post, but after being appointed by taking benefit of reservation mentioned above, there shall be no eligiblity for this benefit again. Exemption in upper age limit shall be allowed up to such period as the service has been rendered by such candidate working on contract, but the upper age limit including the exemption, shall not be more than 55 years on the date prescribed in advertisement issued for the recruitment for the post.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.